मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ७४६) भोपाल,गुरूवार,दिनांक १८ नवम्बर १९९९—कार्तिक २७७, शक १९२१

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 1999

कं.36475—विधान—99—मध्यप्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर रक्षा समिति विधेयक,1999 (कमांक 38 सन् 1999) जो विधान सभा में दिनांक 18 नवम्बर,1999 को पुर:स्थापित हुआ था, जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैं।

के.पी.तिवारी सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 1999

मध्य प्रदेश विधेयक

कमांक 38 सन् 1999

मध्यप्रदेश ग्राम रक्षा तथा नगर सुरक्षा समिति विधेयक, 1999.

विषय सूची

खण्ड—:

- 1. संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारभ्भ.
- 2. परिभाषाएं.
- 3. रक्षा समिति का गठन.
- 4. समिति का अधीक्षण सरकार में निहित होगा.
- 5. पुलिस महानिदेशक,पुलिस महानिरीक्षक, रेंज के पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक की शक्तियां
- 6. अधीक्षक, जिले की रक्षा समितियों का गठन करेगा.
- 7. जिला रक्षा समिति बोर्ड.
- 8. रक्षा समितियों के सदस्यों की अर्हता.
- 9. किसी रक्षा समिति का सदस्य नामांकित किया जाना.
- 10. मुख्य रक्षक का नामनिर्देशन.
- 11. थाना तथा जिला रक्षा अधिकारी की पदस्थापना.
- 12. सदस्यों तथा अधिकारियों पर नियत्रंण तथा उनका प्रशिक्षण
- 13. रक्षा समिति के कृत्त तथा कर्तव्य.
- 14. प्रशिक्षण
- 15. शक्तियां, संरक्षण तथा नियत्रण.
- 16. नामांकन से हटाया जाना.
- 17. सदस्य न रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रमाण-पत्र समर्पित करना.
- 18. दण्ड.
- 19. रक्षा समिति के सदस्य लोक सेवक होगे.
- 20 स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य बनने के लिये रक्षा समिति के सदस्य निरर्हित नहीं होगे.
- 21 नियम बनाने की शक्तियां

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 1999 मध्य प्रदेश विधेयक

मध्य प्रदेश विध्यक कमांक 38 सन् 1999. मध्य प्रदेश ग्राम तथा नगर सुरक्षा समिति विधेयक,1999. मध्यप्रदेश राज्य में शतिं और व्यवस्था बनाए रखने के लिये ग्राम तथा नगर रक्षा समितियों का गठन करने तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्यों का उपबंध करने हेतु विधेयक. भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान—मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों—:

भारत ग	णराज्य के पचासवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान—मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित	ा हों—:
1.	संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ	संक्षिप्त नाम विस्तार
	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश ग्राम नगर रक्षा समिति अधिनियम 1999 हैं.	और प्रारंभ
	(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर हैं.	
	(3) यह ऐसी तारीख को तथा ऐसे क्षेत्रों के लिये प्रवृत्त होगा जिसे राज्य	
	सरकार,अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे तथा भिन्न–भिन्न तारीखों विनिदिष्ट की जा सकेगी.	_
2.	परिभाषाए.	परिभाषाए.
	इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—	
	(क)''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सरकार	
	(ख)'रक्षा समिति का सदस्य'' सें अभिप्रेत हैं, धारा 9 के अधीन नामांकित कोई व्यक्ति	
	(ग)''अधीक्षक'' से अभिप्रेत है, पुलिस अधीक्षक	
3.	रक्षा समिति का गठन	रक्षा समिति का गठन
} 	सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी अधीक्षक को, उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले	
	ों के लियें जैसा कि वह आवश्यक समझें, रक्षा समिति के नाम से स्वैच्छिक निकायों का गठन इं संरक्षण सम्पत्ति की सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में इस अधिनियम के	
	त संरक्षण सन्याता की सुरक्षा तथा लाक व्यवस्था बनाए रखन के संबंध ने इस आधानयन के सके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे कृत्तों और कर्तव्यों का, जो उन्हें	
	ति किये जाये, निर्वहन करेंगे.	
4.	रक्षा समिति का अधीक्षण सरकार में निहित होगा	रक्षा समिति का
	रक्षा समिति का अधीक्षण,सम्पूचर्ण राज्य में,निहित है तथा उसके क्षरा प्रयोक्तव्य है तथा रक्षा	अधीक्षण सरकार में
	के किसी सदस्य पर किसा। अधिकारी द्वारा,प्रयोक्तव्य,कोई नियंत्रण,निदेश तथा प्यंवेक्षण ऐसे	निहित होगा
अधीक्षण	के अध्यधीन रहे हुउ प्रयोक्तव्य होगा।	
5.	पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिदेशक,
की शवि		पुलिस महानिरीक्षक रेंज के पुलिस
(1)	राज्य पुलिस के महानिदेशक तथा महानिरीक्षक, राज्य की समस्त रक्षा समितियों के प्रमुख होंगें तथा उन पर नियंत्रण रखेंगें ।	महानिरीक्षक तथा
	9	पुलिस अधीक्षक की
	(2) अधीक्षक, रक्षा समितियों का, उस क्षेत्र का प्रमुख होगा, जिसके कि लिये वह अधीक्षक के रूप में नियुक्ति किया गया हैं,	शक्तियां,
	(3) किसी भी क्षेत्र में रक्षा समितियों का प्रशासन उन क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाले	
	संबंधित रेंज के महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण तथा निर्देश के अध्याधीन रहते	
	हुए अधीक्षक में निहित होगा .	
6.	अधीक्षक जिले की रक्षा समितियों का गठन करेगा .	अधीक्षक जिले की
	धारा 3 के आधीन अधिसूचना के जारी होने पर अधीक्षक रक्षा समितियों का गठन करेगा	रक्षा समितियों का
7.	जिनमें इतने व्यक्ति होंगें जैसा कि विहीत कीया जाये . जिला रक्षा समिति बोर्ड	गठन करेगा . जिला रक्षा समिति
' '	<u>ाजला रक्षा सामात बार्ड</u> प्रत्येक जिले में एक रक्षा समिति बोर्ड होगा जो जिले के प्रभारी मंत्री के अध्यक्ष के रूप में	
जिले के	5 कलेक्टर और अधीक्षक जो की बोर्ड के सदस्य सचिव होगें से मिलकर बनेगा । बोर्ड रक्षा	410
	के सदस्यों के विरूद्ध शिकायतों को सूनेगा और समुचित विनिश्चय लेगा ।	
8.	रक्षा समितियों के सदस्यों की आर्हता	रक्षा समितियों के
	्किसी ग्राम / परिक्षेत्र में का 20 और 45 वर्ष की आयु के बीच का तथा निवास करने	सदस्यों की आईता
	त्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले कर्तव्यों तथा कृत्यों की प्रकृति का	
ध्यान र	खते हुए सदस्य होने का इच्छुक हो तथा शारीरिक रूप से ठीक तथा समर्थ हो क्षै.त्र के लिये ठी गई रक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामांकन के लिये पात्र होगा .	
11104 4	ा गइ रक्षा सामात के सदस्य के रूप में नामांकन के लिय पात्र होगा . परन्तु एसे व्यक्ति जिन्है किसी अपराधिक मामले में सिद्ध दोष ठहराया गया है या वे किसी	

	<u> </u>
दाण्डीक न्यायालय में ििकसी अपराधिक प्रकरण में विचाराधीन व्यक्ति हैं रक्षा समिति के सदस्य व रूप में नामाकित किये जाने के लिये पात्र नहीं होगें	þ
9. किसी रक्षा समिति के सदस्य का नामाकित किया जाना	किसी रक्षा समिति के
(1) अधीक्षक किसी व्यक्ति का जो धारा 8 के अधीन पात्र है विहित प्रारूप में रक्षा सिर्मा	
के सदस्य के रूप में नामांकन कर सकेगा परन्तु एसे नामांकनों तमें अनुसूचित जातियों में अनुसूचि	`' <u>~</u>
विर संवर्षि वर्ग स्व में भागवर्ग वर्ग संख्याकों को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जायगा ।	
(2) अधीक्षक रक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य को नामांकन पत्र जारी करेगा जो एसे प्रारू	п
में होगा कि जो कि विहित किया जाये तथा तदोपरी उसे प्रदत्त की गई शक्तियां विशेषाधिकार तथ	
संरक्षण प्राप्त होगा तथा वह इस अधिनियम के अधीन तथा उसके द्वारा उस पर अधिरोपित किये ग	
कर्तव्यों का रक्षा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाहन करेगा .	
(3) ग्राम कोटवार और पटेल जहां कहीं भी वे नियुक्ति किये गये हों रक्षा समिति के सदस्	य
होंगे .	
10. मुख्य रक्षक का नाम निर्देशन	मुख्य रक्षक का नाम
अधीक्षक प्रत्येक रक्षा समिति के लिए अपने किसी एक सदस्य को ममुख्य रक्षक के रूप	में निर्देशन
नाम निर्दिष्ट करेगा जिसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगें जो कि विहित किये जायें	
11. थाना तथा जिला रक्षा अधीकारी की पदस्थापना	थाना तथा जिला रक्षा ग अधीकारी की
(1) किसी पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के भीतर रक्षा समितियों के निर्देश तथ	''
पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षक किसी पुलिस अधीकारी को जो सहायक उप निरीक्षक की पद श्रैणी ज निम्न पद श्रेणी का नहों किसी थाने के रक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ कर सकेगा ।	a 133 "1 "
(2) किसी जिले में कि रक्षा समिति के निर्देश तथा पर्यवेक्षणके लिये अधीक्षक किसी पुलि	Н
अधीकारी को निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहो जिला रक्षा अधीकारी के रूप	
पदस्थ कर सकेगा ।	
12 सदस्यो तथा अधिकारीयों पर नियंत्रण तथा उनका प्रशिक्षण	सदस्यो तथा
रक्षा समितियों के सदस्य तथा धारा 10 तथा 11 के अधीन नाम निर्दिष्टया पदस्थ कि	
गये अधिकारी अधीक्षक के निर्देश तथा नियंत्रण के अधीन होगें । तथा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगें तथ	
जब उन्हें कर्तव्य के लिये आहूत किया जाये ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगं जेसा व विहित किया जाये ।	प्र शिक्षण
13. रक्षा समिति के कृत्य तथा कर्तव्य	रक्षा समिति के कृत्य
रक्षा समिति के सदस्य निम्नलिखित कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वाहन करेंगे :—	तथा कर्तव्य
(क) उन ग्रामों ओर क्षेत्रों की जो उन्हें समनुदेशित किये जायें चोकसी करना ।	
(ख) अपराध के निवारण के प्रयोजन के लिये पहरा देना ।	
(ग) व्यक्तियों तथा सम्पत्ति का संरक्षण करना	
(घ) लोक व्यवस्था तथा शाति बनाये रखने के लिये जब आवश्यकता हो सामान्य पुलिस व	जी
सहायता करना	
(ड) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जेसे कि राज्य सरकार या अधीक्षक द्वारा उन	है
समय समय पर समनिर्देशित किया जाए	
(च) उद्घोषित अपराधी तथा फरार अपराधी को गिरफतार करना ऐसे गिरफतार व्यक्तिय	ii
को बिना विलंब के निकटस्थ पुलिस थाना / वाह थाना पर पेश करना	
(छ) संदिग्घ दुषचरित्र व्यक्तियों के संबंध में जानकारी देना	
(ज) प्राकृतिक आपदा से संबंधित बचाव तथा राहत कार्यो मे पुलिस की आवश्यक सहायत	Π
करना 	
14 प्रशिक्षण	प्रशिक्षण
पुलिस महानिदेशक या इस निमित्य उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी र अधीक्षक किसी रक्षा समिति के किसी सदस्य को प्रशिक्षण के लिये या इस अधिनियम तथा उसव	
अधीन बनाये गये नियमों के उप बंधों के अनुसार उन्हैं समुनिर्देशित किये गये किन्ही कृत्यों र	
कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिये आहत कर सकेगा	
15. शक्तियां, संरक्षण तथा नियंत्रण	शक्तियां, संरक्षण
(1) रक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य को जब उन्है कर्तव्य के लिये आहुत किया जाए उन	है तथा नियंत्रण
·	

पुलिस अधिनियम 1861 (1861 क सं.5) के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में वही शक्तियां, जिम्मेदारियां विशेषाधिकार तथा संरक्षण प्राप्त होगे (2) रक्षा समिति के किसी भी सदस्य के विरूद्ध कोई अभियोजन ऐसे सदस्य के रूप में उसकी शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वाहन करने में कि गई या किये जाने के लिये तार्त्यित किसी बात के संबंध मे अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के शिवाय संस्थित नही किया जायगा नामांकन से हटाया जाना नामांकन से हटाया अधीक्षक रक्षा समिति के किसी ऐसे सदस्य का नाम नामांकन से हटा सकेगा जो धारा 14 जाना के अधीन आहूत किये जाने पर युक्तियुक्त करण के बिना एसे आदेश की उपेक्षा करता है या उसका पालन करने से इंकार करता है या रक्षा समिति के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों का निर्वाहन करने में उपेक्षा करता है या उनका निर्वाहन करने से इंकार करता है या अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिये दिये गये किसी विधिपूर्ण आदेश या निर्देश का पालन करने में उपेक्षा करता है या उसका पालन करने से इंकार करता है सदस्य न रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र समर्पित करना 17. सदस्य न रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रमाण (1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारण से किसी रक्षा समिति का सदस्य न रहै या वह अपनी पत्र समर्पित करना सदस्यता से त्याग पत्र देदेता है अधीक्षक को या ऐसे व्यक्ति को तथा ऐसे स्थान पर जैसे कि अधीक्षक निर्देश दे अपना नामांकन प्रमाण पत्र आयुद्ध या अन्य वस्तुयें जो कि उसे एसे सदस्य के रूप में जारी की गई हों तत्काल समर्पित करेगा (2) जब रक्षा समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में उप धारा (1) में निर्दिष्ट नामाकन प्रमाणपत्र आयुद्ध तथा वस्तुए हो जो उक्त सदस्य को दी गई हैं अधीक्षक को या एसे व्यक्ति को या ऐसे स्थान पर जैसे की अधीक्षक निर्देश दे उक्त नामांकन प्रमाण पत्र तथा आयुद्ध तथा वस्तुयें तुरंत समर्पित करेगा (3) कोई मजिस्ट्रेट तथा अधीक्षक जब कभी यह पाते हैं की उप धारा (1) या उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित कोई प्रमाण पत्र आयुद्ध या अन्य वस्त्यें समर्पित नहीं की गई हैं तो वे उनकी तलाशी तथा उनका अधिग्रहण करने के लिये वारंट जारी कर सकेंगें इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारंट दण्ड प्रकियां सिहंता 1973 (1974 क स. 2) के उपबन्धों के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या यदि वारट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट या अधीक्षक द्वारा इस प्रकार निर्देशित करे तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका निष्पादन किया जायेगा दण्ड 18. (1) यदि रक्षा समिति का काई सदस्य धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार जानबुझकर प्रमाण- पत्र तथा आयुध या काई अन्य वस्तुएं समर्पित करने में उपेक्षा करता है एंसा करने से इंकार करता है तो वह दोसिद्धि पर कारावास से, जो पन्द्रह दिन तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकेगा, या दोनो से दण्डित किया जायेगा. (2) यदि कोई व्यक्ति धारा 17 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार जानबुझकर प्रमाण— पत्र तथा आयुध या काई अन्य वस्तुएं समर्पित करने में उपेक्षा करता है या एंसा करने से इंकार करता है तो वह दोसिद्धि पर, जुर्मीने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई भी कार्यवाही अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएगी. रक्षा समिति के सदस्य लोक सेवक रक्षा समिति के होंगें. इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे रक्षा समिति के सदस्य भारतीय दण्ड सदस्य लोक सेवक होंगें. संहिता,1860(1860का सं.45) की धारा 21 के अर्थ के अंर्तगत लोक सेवक समझे जाएंगे. स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य बनने के लिए रक्षा समिति के सदस्य निरर्हित स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य बनने के तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विट किसी प्रतिकूल बात केइ होते हुए भी रक्षा समिति का सदस्य किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य होने से केवल इस तथ्य के कारण से लिए रक्षा समिति निरर्हित नहीं होगा कि वह किसी रक्षा समिति का सदस्य है या कि वह रक्षा समिति का सदस्य होने के सदस्य निरर्हित के आधार पर सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं होंगें. स्पटीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिये "स्थानीय प्रधिकरण" में सम्मिलित है कोई नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिद,नगर पंचायत,जिला पंचायत,जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत,

21. नियम बनाने की शक्तियां

बना

- (1) सरकार,अधिसूचना द्वारा,इस अधिनियम के प्रयोजनों को किर्यान्वित करने के लिए नियम सकेगी.
- (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे या उनका विनिमय किया जा सकेगा, अर्थात :--
- (क) एसे कृत्य जिनका निर्वहन तथा ऐसे कर्तव्य जिनका पालन धारा 3 के अधीन रक्षा समिति द्वारा किया जायगा,
- (ख) वह प्ररूप जिसमें धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नामांकन प्रमाण —पत्र जारी किया जाएगा,
- (ग) रक्षा समित के सदस्यों का संगठन,नामांकन,कृत्य तथा अनुशासन तथा वह रीति जिसमें उन्हें कर्तव्य के लिए आहूत किया जा सकेगा,
 - (घ) धारा 12 के अधीन मुख्य रक्षक ,थाना रक्षा अधिकारी तथा जिला रक्षा अधिकारी की शक्तियां.कर्तव्य तथा प्रशिक्षण.और
 - (ड) सामान्यतः इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील बनाने के लिए,
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

नियम बनाने की शक्तियां

उद्वेश्यों और कारणों का कथन

नियमित पुलिस को अपराधों का निवारण और उनका पता लगाने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए सुसंगत जानकारी प्राप्त करेने हेतु कुछ विशेष इंतजाम करने की आवश्यकता होती हैं. इस समय नागरिकों में बढ रही जागरूकता के कारण विकास की प्रक्रिया को सकर बनाने के लिए शांति बनाये रखने में इस समुदाय की भागीदारी आवश्यक हो गई है. इस प्रयोजन के लिए राज्य के डांकू प्रभावित जिलों में 1956 में रक्षा समिति का संकल्पना शूरू की गई थी. बाद में, 1956 में राज्य सरकार ने संकल्प द्वारा राज्य के शेष जिलों में ऐसी समितियों का गठन किया था. अब राज्य सरकार ने पुलिस सुधार समिति की सलाह पर यह विनिश्चय किया है कि पुलिस की अधिक दक्षता के लिए इस संकल्पना का प्रभावी रूप उपयोग करने हेतू एक विधान अधिनियमित किया जाए.

- 2. राज्य में शांति तथा लोक व्यवस्था बनाए करखने में समुदाय की भागीदारी को बढाने की दृष्टि से यह प्रस्वतावित है कि ग्रामों और नगरों में परिज्ञक्षेत्रों / वार्डों में रक्षा समिति के रूप में औपचारिक संरचना सुजित की जाए.
 - 3. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः तारिख 15 नवम्बर 1999

नन्द कुमार पटेल भारसाधक सदस्य

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 21 (2) में (क) लगायत (ड़) के प्रावधानों मे संबंध में राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा नियम बनाये जाने की विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं. जिसके तहत निर्मित नियम सामान्य स्वरूप के होगें.

> के०पी०तिवारी सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 1999

कं.36475—विधान—99—मध्यप्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर रक्षा समिति विधेयक,1999 (कमांक 38 सन् 1999) जो विधान सभा में दिनांक 18 नवम्बर,1999 को पुर:स्थापित हुआ था, जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैं।

के.पी.तिवारी सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 1999

मध्य प्रदेश विधेयक

कमांक 38 सन् 1999

मध्यप्रदेश ग्राम रक्षा तथा नगर सुरक्षा समिति विधेयक, 1999.

विषय सूची

खण्ड—:

- 1. संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारभ्भ.
- 2. परिभाषाएं.
- 3. रक्षा समिति का गठन.
- 4. समिति का अधीक्षण सरकार में निहित होगा.
- 5. पुलिस महानिदेशक,पुलिस महानिरीक्षक, रेंज के पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक की शक्तियां
- 6. अधीक्षक, जिले की रक्षा समितियों का गठन करेगा.
- 7. जिला रक्षा समिति बोर्ड.
- 8. रक्षा समितियों के सदस्यों की अर्हता.
- 9. किसी रक्षा समिति का सदस्य नामांकित किया जाना.
- 10. मुख्य रक्षक का नामनिर्देशन.
- 11. थाना तथा जिला रक्षा अधिकारी की पदस्थापना.
- 12. सदस्यों तथा अधिकारियों पर नियत्रंण तथा उनका प्रशिक्षण
- 13. रक्षा समिति के कृत्त तथा कर्तव्य.
- 14. प्रशिक्षण
- 15. शक्तियां, संरक्षण तथा नियत्रण.
- 16. नामांकन से हटाया जाना.
- 17. सदस्य न रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रमाण-पत्र समर्पित करना.
- 18. दण्ड.
- 19. रक्षा समिति के सदस्य लोक सेवक होगे.
- 20 स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य बनने के लिये रक्षा समिति के सदस्य निरर्हित नही होगे.
- 21 नियम बनाने की शक्तियां

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश ग्राम नगर रक्षा समिति अधिनियम 1999 हैं.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर हैं.
- (3) यह ऐसी तारीख को तथा ऐसे क्षेत्रों के लिये प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार,अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे तथा भिन्न-भिन्न तारीखों विनिदिष्ट की जा सकेगी.

2. परिभाषाए.

इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सरकार
- (ख) ''रक्षा समिति का सदस्य'' सें अभिप्रेत हैं, धारा 9 के अधीन नामांकित कोई व्यक्ति
- (ग) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है, पुलिस अधीक्षक

3. रक्षा समिति का गठन

सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी अधीक्षक को, उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले ऐसे क्षेत्रों के लियें जैसा कि वह आवश्यक समझें, रक्षा समिति के नाम से स्वैच्छिक निकायों का गठन करने के संरक्षण सम्पत्ति की सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे कृत्तों और कर्तव्यों का, जो उन्हें समुनुदेशित किये जाये, निर्वहन करेंगे.

रक्षा सिमिति का अधीक्षण सरकार में निहित होगा

रक्षा समिति का अधीक्षण,सम्पूचर्ण राज्य में,निहित है तथा उसके क्षरा प्रयोक्तव्य है तथा रक्षा सितित के किसी सदस्य पर किसी अधिकारी द्वारा,प्रयोक्तव्य,कोई नियंत्रण,निदेश तथा प्यवेक्षण ऐसे अधीक्षण के अध्यधीन रहे हुउ प्रयोक्तव्य होगा।

पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक की शक्तियां,

- (1) राज्य पुलिस के महानिदेशक तथा महानिरीक्षक, राज्य की समस्त रक्षा समितियों के प्रमुख होंगें तथा उन पर नियंत्रण रखेंगें ।
- (2) अधीक्षक, रक्षा समितियों का, उस क्षेत्र का प्रमुख होगा, जिसके कि लिये वह अधीक्षक के रूप में नियुक्ति किया गया हैं,
- (3) किसी भी क्षेत्र में रक्षा समितियों का प्रशासन उन क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाले संबंधित रेंज के महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण तथा निर्देश के अध्याधीन रहते हुए अधीक्षक में निहित होगा .

6. अधीक्षक जिले की रक्षा समितियों का गठन करेगा .

धारा 3 के आधीन अधिसूचिना के जारी होने पर अधीक्षक रक्षा समितियों का गठन करेगा जिनमें इतने व्यक्ति होंगें जैसा कि विहीत कीया जायें .

जिला रक्षा समिति बोर्ड

प्रत्येक जिले में एक रक्षा समिति बोर्ड होगा जो जिले के प्रभारी मंत्री के अध्यक्ष के रूप में जिले के कलेक्टर और अधीक्षक जो की बोर्ड के सदस्य सचिव होगें से मिलकर बनेगा । बोर्ड रक्षा समिति के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों को सूनेगा और समुचित विनिश्चय लेगा ।

रक्षा समितियों के सदस्यों की आईता

किसी ग्राम / परिक्षेत्र में का 20 और 45 वर्ष की आयु के बीच का तथा निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले कर्तव्यों तथा कृत्यों की प्रकृति का ध्यान रखते हुए सदस्य होने का इच्छुक हो तथा शारीरिक रूप से ठीक तथा समर्थ हो क्षे.त्र के लिये गठित की गई रक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामांकन के लिये पात्र होगा .

परन्तु एसे व्यक्ति जिन्है किसी अपराधिक मामले में सिद्ध दोष ठहराया गया है या वे किसी दाण्डीक न्यायालय में किसी अपराधिक प्रकरण में विचाराधीन व्यक्ति हैं रक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामाकित किये जाने के लिये पात्र नहीं होगें

9. किसी रक्षा समिति के सदस्य का नामाकित किया जाना

- (1) अधीक्षक किसी व्यक्ति का जो धारा 8 के अधीन पात्र है विहित प्रारूप में रक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामांकन कर सकेगा परन्तु एसे नामांकनों तमें अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जन जातियों महिलाओं और अल्प संख्याकों को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जायगा ।
- (2) अधीक्षक रक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य को नामांकन पत्र जारी करेगा जो एसे प्रारूप में होगा कि जो कि विहित किया जाये तथा तदोपरी उसे प्रदत की गई शक्तियां विशेषाधिकार तथा संरक्षण प्राप्त होगा तथा वह इस अधिनियम के अधीन तथा उसके द्वारा उस पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों का रक्षा

समिति के सदस्य के रूप में निर्वाहन करेगा.

(3) ग्राम कोटवार और पटेल जहां कहीं भी वे नियुक्ति किये गये हों रक्षा समिति के सदस्य होंगे .

10. मुख्य रक्षक का नाम निर्देशन

अधीक्षक प्रत्येक रक्षा समिति के लिए अपने किसी एक सदस्य को ममुख्य रक्षक के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा जिसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगें जो कि विहित किये जायें

11. थाना तथा जिला रक्षा अधीकारी की पदस्थापना

- (1) किसी पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के भीतर रक्षा सिमतियों के निर्देश तथा पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षक किसी पुलिस अधीकारी को जो सहायक उप निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहों किसी थाने के रक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ कर सकेगा ।
- (2) किसी जिले में कि रक्षा समिति के निर्देश तथा पर्यवेक्षणके लिये अधीक्षक किसी पुलिस अधीकारी को निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहों जिला रक्षा अधीकारी के रूप में पदस्थ कर सकेगा

12 सदस्यो तथा अधिकारीयों पर नियंत्रण तथा उनका प्रशिक्षण

रक्षा समितियों के सदस्य तथा धारा 10 तथा 11 के अधीन नाम निर्दिष्टया पदस्थ किये गये अधिकारी अधीक्षक के निर्देश तथा नियंत्रण के अधीन होगें । तथा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगें तथा जब उन्है कर्तव्य के लिये आहूत किया जाये ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगं जेसा की विहित किया जाये ।

13. रक्षा समिति के कृत्य तथा कर्तव्य

रक्षा समिति के सदस्य निम्नलिखित कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वाहन करेंगे :--

- (क) उन ग्रामों ओर क्षेत्रों की जो उन्है समनुदेशित किये जायें चोकसी करना ।
- (ख) अपराध के निवारण के प्रयोजन के लिये पहरा देना ।
- (ग) व्यक्तियों तथा सम्पत्ति का संरक्षण करना
- (घ) लोक व्यवस्था तथा शांति बनाये रखने के लिये जब आवश्यकता हो सामान्य पुलिस की सहायता करना
- (ड) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जेसे कि राज्य सरकार या अधीक्षक द्वारा उन्हे समय समय पर समनिर्देशित किया जाए
- (च) उद्घोषित अपराधी तथा फरार अपराधी को गिरफतार करना ऐसे गिरफतार व्यक्तियों को बिना विलंब के निकटस्थ पुलिस थाना / वाह थाना पर पेश करना
- (छ) संदिग्घ दूषचरित्र व्यक्तियों के संबंध में जानकारी देना
- (ज) प्राकृतिक आपदा से संबंधित बचाव तथा राहत कार्यो मे पुलिस की आवश्यक सहायता करना

14 प्रशिक्षण

पुलिस महानिदेशक या इस निमित्य उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी या अधीक्षक किसी रक्षा समिति के किसी सदस्य को प्रशिक्षण के लिये या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उप बंधों के अनुसार उन्हें समुनिर्देशित किये गये किन्हीं कृत्यों या कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिये आहत कर सकेगा

15. शक्तियां, संरक्षण तथा नियंत्रण

- (1) रक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य को जब उन्हैं कर्तव्य के लिये आहुत किया जाए उन्हैं पुलिस अधिनियम 1861 (1861 क सं.5) के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में वही शक्तियां, जिम्मेदारियां विशेषाधिकार तथा संरक्षण प्राप्त होगे
- (2) रक्षा समिति के किसी भी सदस्य के विरूद्ध कोई अभियोजन ऐसे सदस्य के रूप में उसकी शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वाहन करने में कि गई या किये जाने के लिये तार्त्यित किसी बात के संबंध में अधीक्षक की पूर्व मंजुरी के शिवाय संस्थित नहीं किया जायगा

16. नामांकन से हटाया जाना

अधीक्षक रक्षा समिति के किसी ऐसे सदस्य का नाम नामांकन से हटा सकेगा जो धारा 14 के अधीन आहूत किये जाने पर युक्तियुक्त करण के बिना एसे आदेश की उपेक्षा करता है या उसका पालन करने से इंकार करता है या रक्षा समिति के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों का निर्वाहन करने मे उपेक्षा करता है या उनका निर्वाहन करने से इंकार करता है या अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिये दिये गये किसी विधिपूर्ण आदेश या निर्देश का पालन करने में उपेक्षा करता है या उसका पालन करने से इंकार करता है

17. सदस्य न रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र समर्पित करना

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारण से किसी रक्षा समिति का सदस्य न रहै या वह अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देदेता है अधीक्षक को या ऐसे व्यक्ति को तथा ऐसे स्थान पर जैसे कि अधीक्षक निर्देश दे अपना नामांकन प्रमाण पत्र आयुद्ध या अन्य वस्तुयें जो कि उसे एसे सदस्य के रूप में जारी की गई हों तत्काल समर्पित करेगा

- (2) जब रक्षा समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में उप धारा (1) में निर्दिष्ट नामाकंन प्रमाणपत्र आयुद्ध तथा वस्तुए हो जो उक्त सदस्य को दी गई हैं अधीक्षक को या एसे व्यक्ति को या ऐसे स्थान पर जैसे की अधीक्षक निर्देश दे उक्त नामांकन प्रमाण पत्र तथा आयुद्ध तथा वस्तुयें तुरंत समर्पित करेगा
- (3) कोई मजिस्ट्रेट तथा अधीक्षक जब कभी यह पाते हैं की उप धारा (1) या उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित कोई प्रमाण पत्र आयुद्ध या अन्य वस्तुयें समर्पित नहीं की गई हैं तो वे उनकी तलाशी तथा उनका अधिग्रहण करने के लिये वारंट जारी कर सकेंगें इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारंट दण्ड प्रक्रियां सिहंता 1973 (1974 क स. 2) के उपबन्धों के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या यिव वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट या अधीक्षक द्वारा इस प्रकार निर्देशित करे तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका निष्पादन किया जायेगा

18. दण्ड

- (1) यदि रक्षा समिति का काई सदस्य धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार जानबुझकर प्रमाण— पत्र तथा आयुध या काई अन्य वस्तुएं समर्पित करने में उपेक्षा करता है या एंसा करने से इंकार करता है तो वह दोसिद्धि पर कारावास से, जो पन्द्रह दिन तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकेगा, या दोनो से दिण्डत किया जायेगा.
- (2) यदि कोई व्यक्ति धारा 17 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार जानबुझकर प्रमाण— पत्र तथा आयुध या काई अन्य वस्तुएं समर्पित करने में उपेक्षा करता है या एंसा करने से इंकार करता है तो वह दोसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा.
- (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई भी कार्यवाही अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएगी.

19. रक्षा समिति के सदस्य लोक सेवक होंगें.

इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे रक्षा समिति के सदस्य भारतीय दण्ड संहिता,1860(1860का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अंर्तगत लोक सेवक समझे जाएंगे.

20. स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य बनने के लिए रक्षा सिमति के सदस्य निरर्हित नहीं होंगें.

तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विट किसी प्रतिकूल बात केइ होते हुए भी रक्षा समिति का सदस्य किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य होने से केवल इस तथ्य के कारण से निरर्हित नहीं होगा कि वह किसी रक्षा समिति का सदस्य है या कि वह रक्षा समिति का सदस्य होने के आधार पर सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है

स्पटीकरण:— इस धारा के प्रयोजन के लिये ''स्थानीय प्रधिकरण'' में सम्मिलित है कोई नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिद,नगर पंचायत,जिला पंचायत,जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत,

21. नियम बनाने की शक्तियां

- (1) सरकार,अधिसूचना द्वारा,इस अधिनियम के प्रयोजनों को किर्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी,
- (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे या उनका विनिमय किया जा सकेगा, अर्थात :--
- (क) एसे कृत्य जिनका निर्वहन तथा ऐसे कर्तव्य जिनका पालन धारा 3 के अधीन रक्षा समिति द्वारा किया जायगा,
- (ख) वह प्ररूप जिसमें धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नामांकन प्रमाण –पत्र जारी किया जाएगा,
- (ग) रक्षा समित के सदस्यों का संगठन,नामांकन,कृत्य तथा अनुशासन तथा वह रीति जिसमें उन्है कर्तव्य के लिए आहूत किया जा सकेगा,
- (घ) धारा 12 के अधीन मुख्य रक्षक ,थाना रक्षा अधिकारी तथा जिला रक्षा अधिकारी की शक्तियां,कर्तव्य तथा प्रशिक्षण,और
- (ड़) सामान्यतः इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील बनाने के लिए,
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

उद्वेश्यों और कारणों का कथन

नियमित पुलिस को अपराधों का निवारण और उनका पता लगाने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए सुसंगत जानकारी प्राप्त करेने हेतु कुछ विशेष इंतजाम करने की आवश्यकता होती हैं. इस समय नागरिकों में बढ रही जागरूकता के कारण विकास की प्रक्रिया को सकर बनाने के लिए शांति बनाये रखने में इस समुदाय की भागीदारी आवश्यक हो गई है. इस प्रयोजन के लिए राज्य के डांकू प्रभावित जिलों में 1956 में रक्षा समिति का संकल्पना शूरू की गई थी. बाद में, 1956 में राज्य सरकार ने संकल्प द्वारा राज्य के शेष जिलों में ऐसी समितियों का गठन किया था. अब राज्य सरकार ने पुलिस सुधार समिति की सलाह पर यह विनिश्चय किया है कि पुलिस की अधिक दक्षता के लिए इस संकल्पना का प्रभावी रूप उपयोग करने हेतु एक विधान अधिनियमित किया जाए.

- 2. राज्य में शांति तथा लोक व्यवस्था बनाए करखने में समुदाय की भागीदारी को बढाने की दृष्टि से यह प्रस्वतावित है कि ग्रामों और नगरों में परिज्ञक्षेत्रों / वार्डी में रक्षा समिति के रूप में औपचारिक संरचना सृजित की जाए.
 - 3. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः तारिख 15 नवम्बर 1999 नन्द कुमार पटेल भारसाधक सदस्य

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 21 (2) में (क) लगायत (ड़) के प्रावधानों मे संबंध में राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा नियम बनाये जाने की विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं. जिसके तहत निर्मित नियम सामान्य स्वरूप के होगें.

> के०पी०तिवारी सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा

MAHDYA PRADESH ADHINIYAM

NO.-- OF 2002

MADHYA PRADESH GRAM TATHA NAGAR RAKSHTA DAL ADHINIYAM 2002

TABLE OF CONTENTS

Section

- 01. Short title, extent and commencement.
- 02. Definitions
- 03. Constitutions.
- 04. Qualification of members of Taksha Dal.
- 05. Enrolment of members of Raksja Dal.
- 06. Function and Duties of Raksha Dal.
- 07. Nominating of Mukhya Rakshak
- 08. Posting of Thana and Jila Raksha Adhikari.
- 09. Control and Training if Members and Officers.
- 10. Training
- 11. Powers, Protection and Control.
- 12. Members of Raksha Dal to be Public Servent.
- 13. Issuing arms to members of Raksha Dal.
- 14. Powers of Director General/Inspector General, Range Inspector General and the Superintendent of Police.
- 15. De-enrollment.
- 16. Certificate to be delivered by the person seizing to be members.
- 17. Punishment.
- 18. Members of Raksha Dal not disqualified from being Members of Local Bodies.
- 19. Powers of make rules.
- 20. Repealing.

MADHYA PRADESH BILL

No. OF 2002

THE MADHYA PRADESH GRAM TATHA NAGAR RAKSHA DAL ADHINIYAM 2002

[Received the assent of the Governor on the 2002:Assent First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" Dated the 2002]

An Act to provide for the constitution of the Gram Thtah Nagar Raksha Dal for the maintainence of peace and order in the State of Madhya Pradesh and their powers and duties.

Be if enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty Second Year of the Republic of India as follows:-

01. SHORT TITLE EXTENT AND COMMENCEMENT

- (1) This Act may called the madhay Pradesh Gram Thtah Nagar Raksha Adhiniyam,2002,
- (2) It extends to the whole of the Madhya Pradesh,
- (3) It shall come into force in the whole of the state of Madhya Pradesh on the publication of this Act in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) for the first

time.

DEFINITIONS

In this Act, unless the context otherwise requires,

- (a) "Government" means the Government of Madhya Pradesh.
- (b) "Members of a Raksha Dal" means a person enrolled under Section 6.
- (c) "Gram Sabha" Means a Gram Sabha constituted under section 5-A of Madhya Pradesh Rajya Evam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of the year 1994 and Amendment Act No. 3 of the Year 2001),
- (d) "Mahalla Samiti" means a Mohilla Samiti constituted under section 3 of Madhya Pradesh Nagarpalika Mohilla Samiti.(constitution, Function, Powers and Procedure for conduct of Business) Rules, 2001
- (e) "Superintendent" means the District Superintendent of Police.

03. CONSTITUTION OF RAKSHA DAL

Gram Shaba/Mohilla Samiti shall send a list of person to the extent to 125% of the required number to the Superintendent. The Superintendent shall consider the list the list and after excluding the name of ineligible, incompetent/unsuitable person shall constitute the Raksha Dal amongst the remaining names.

04. QUALIFICATION OF MEMBERS OF THE RAKSHA DAL

Every person between the age of 20 to 45 Years and residing in a village/mohilla and who, having regards to the nature of duties and functions to be performed under this Act, is willing to be a member, and is physically fit and capable, shall be eligible for enrollment as a member of the Raksha Dal.

Provided that such person who have been convicted in a criminal case or/are under trial in a court shall not be eligible to be enrollment as a member of Raksah Dal.

05. ENROLMENT OF MEMBER OF A RAKSHA DAL

(1) The Superintendent may enroll in the prescribed form nay person who is eligible under section 4 who has been nominated by Gram Sabha or Nagar Parishad.

Provided that in such enrollments due representation would be given to scheduled Castes, scheduled Tribes, Women and the Minorities.

(2) The Superintendent shall issue a certificate of enrollment to every member of a Raksha Dal which shall be in such form as may be prescribed and thereupon he shall have the powers, privileges and shall discharge the duties imposed on him as a member of the Raksha Dal by or under this Act.

(3) The village Kotwar and patel wherever appointed will be the members of the Raksha Dal.

06. <u>FUNCTION AND DUTIES OF RAKSHA DAL</u>

The members of Raksja Dal shall perform the following functions and duties.

- (a) Keeping vigil in the village/mohallas assigned to them.
- (b) Patrolling for the purpose of prevention of crime.
- (c) Protection of persons and property.
- (d) Assisting the police, when necessary, is maintaining the public order and peace.
- (e) Performing such other duties as may be assigned to them from time to time by the Superintendent of police of Gram Raksha Samiti.
- (f) To arrest proclaimed offenders and to produced such arrested person to the nearest police station/outpost without delay.
 - (g) To give information regarding suspicious and bad characters.
 - (h) To render necessary assistance to police in rescue and relief works connected with natural calamites.

07. NOMINATION OF MUKHYA GRAM RAKSHAK

The Superintendent shall nominate for every Raksha Dal, one of its members as Mukhya Rakshak whose and duties shall be such as may be prescribed.

08. POSTING OF THANA AND JILA RAKSHA ADHIKARI

(1) For direction and supervision of members of Raksha Dal called out for duty within the local limits of a police station, the Superintendent may post a police

not below the rank of a an Assistant Sub-

Inspector to be a

officer,

Thana Raksha Adhikari.

(2) For direction and supervision of members of Raksha Dal called out for duty within a District, the Superintendent may post a police officer not below the rank of an Inspector to be a <u>Jila Raksha Adhikari</u>.

09. <u>CONTROL AND TRAINING OF MEMBERS AND OFFICERS</u>

Members of the Raksha Dal called out duty and the officers nominated of posted under section 7 and 8 shall be under the of a Raksha Dal for training or to discharge any of the function or cuties assigned to them in according to them in according with the provisions of this Act and the rules made there under

10. TRAINING

or

The Director General of police or nay police officer authorised by him in this behalf or the Superintendent may be assigned to any member performing such other duties as may be assigned to them from time by the authorities designated in this act.

11. <u>POWERS, PROTECTION AND CONTROL</u>

- (1) Every member of the Raksha Dal shall, when called out for duty, have the same powers, liabilities, privileges and protection as a police Officers under the police Act 1861 (N. 5 of 1861)
- (2) No protection shall be instituted against a member of a Raksha Dal, called out fir duty, in respect of anything done or purporting to be done in the exercise of his power the discharge of his functions of duties as such member except with the previous sanction of his Superintendent.

12. <u>MEMBERS OF THE RAKSHA DAL TO BE PUBLIC</u> <u>SERVANTS</u>

The members of the Raksha Dal acting under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

13. <u>ISSUING ARMS TO MEMBERS OF RAKSHA DAL</u>

- (1) In a Problematic district, members of Raksha Dal called out for duties can be issued confiscated arms and other Government arms, which are currently not in use in police Department.
- (2) The weapons to be provide under sub section (1), the procedure for its maintenance and training for handing of weapon shall be prescribed in the rule under this Act.

14. POWERS OF THE DIRECTOR GENERAL, INSPECTOR GENERAL, RANGE AND THE SUPERINTENDENT

- (1) The Director General and Inspector General of state police shall be the Chief Coordinator of all the Raksha Sals in the state.
- (2) The Director General of police, Range shall be the coordinator of Raksha Dals within the Range.
- (3) The Superintendent shall be the District Coordinator of the Raksha Dal in the district for which he is appointed as Superintendent.

15. <u>DE-ENROLLMENT</u>

The Superintendent nay, in consultation with with Gram Sabha/Mohall samiti may de-enroll any member of the Raksha Dal, who on being called out under Section 6, without reasonable excuse neglects or refuses to obey such order or to discharge his function as a member of the Raksha Dal or to obey any lawful order or direction given to him the performance of his duties.

16. <u>CERTIFICATE TO BE DELIVERED UP BY THE PERSON</u> CEASING TO BE A MEMBER

(1) Every person who for any person ceases to be a member of a Raksha Dal or resign his membership shall forthwith deliver to the Superintendent or to such person and at such place as the Superintendent may direct, his certificate of enrollment and the arms and other articles, which have been issued to him as such member.

(2) When a member of a Raksha Dal dies, any person who is in custody of the certificate of Enrollment, the arms

and the articles referred to in sub-section (1) which
been issued to the said member shall firth with
Superintendent or to such person or at
Superintendent may direct, the said
such place as the certificate of Enrollment arms articles.

(3) Any magistrate and the Superintendent may issue a

warrant to search for and seize whenever they may be found any certificate, arms or other not delivered as required by subsection (1) or sub-section (2). Every warrant so issued shall be executed in accordance with the previous of the code of criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) by a the magistrate or the Superintendent issuing the police officer or if warrant so directs by any other person.

17. PUNISHMENT

(1) If any member of the Raksha Dal willfully neglects or refuses to deliver up his certificate of Enrollment and the arms or any other article in accordance with previous of sub-section (1) ofsection 16,he shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to fifteen days or with fine which may extend to Two hundred and fifty rupees or with both.

(2) If any member of the Raksha Dal willfully neglects or refuses to deliver the certificate of enrollment and the arms or any other article in accordance with the section (2) of section 16, he shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five Hundred rupees.

(3) No proceeding shall be instituted under sub-section (2) without the previous sanction of the Superintendent.

18. MEMBERS OF THE RAKSHA DAL NOT DISQUALIFIED FROM BEING MEMBERS OF LOCAL AUTHORITIES

Notwithstanding anything contained to the contrary in any other law for the time being in force, a member of the Raksa Dal shall not be disqualified from being a member of any local authority merely, by reason of the fact that he is a member of a Raksha Dal or that he holds an office of profit under the Government by virtue of his being a member if a Raksha Dal.

<u>Explanation</u> -: For the purpose of his section "Local authority" includes a Municipal council, a Nagar Panchayat, Zila Panchayat Jnapad Panchayat and Gram Panchayat

19. POWERS OF GOVERNMENT TO MALE RULES

- (1) The Government may by notification make rules to carry out the purpose of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the forgoing power, such rules nay provide for or regulate the following matters, namely-
- (a) The Function which shall be discharged and the duties which shall be performed by the Raksha Dal under section 6.
 - (b) The forming which certificate of enrollment shall be issued under sub-section (2) of section 5.
- (c) The organization, enrollment and function, discipline of the members of the Raksha Dal and the manner in which they may be called out for duty.
- (d) Powers, duties and training of the Mukhya Rakshak Thana Raksha Adhikari and Jila Raksha Adhakari under section 7 and 8
 - (e) Generally for giving effect to the previous of this Act.
 - (3) Every rule made under this Act. shall be laid, as soon
- as may be after it is made, on the table of the State Vidhan Sabha.

20. <u>REPEALING</u>

Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Raksha Samiti Act, 1999(No.4 of the year 2000) is hereby repealed

Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Rakshta Dal Adhiniyam Table of contents

Section

- 01. Short title, extent and commencement.
- 02. Definitions
- 03. Constitutions.
- 04. Qualification of members of Taksha Dal.
- 05. Enrolment of members of Raksja Dal.
- 06. Function and Duties of Raksha Dal.
- 07. Nominating of Mukhya Rakshak
- 08. Posting of Thana and Jila Raksha Adhikari.
- 09. Control and Training if Members and Officers.
- 10. Training
- 11. Powers, Protection and Control.
- 12. Members of Raksha Dal to be Public Servent.
- 13. Issuing arms to members of Raksha Dal.
- 14. Powers of Director General/Inspector General, Range Inspector General and the Superintendent of Police.
- 15. De-enrollment.
- 16. Certificate to be delivered by the person seizing to be members.
- 17. Punishment.
- 18. Members of Raksha Dal not disqualified from being Members of Local Bodies.
- 19. Powers of make rules.
- 20. Repealing.

MADHYA PRADESH

No. OF 2002

THE MADHYA PRADESH GRAM TATHA NAGAR RAKSHA DAL ADHINIYAM 2002

[Received the assent of the Governor on the 2002: Assent First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" Dated the 2002]

An Act to provide for the constitution of the Gram Thtah Nagar Raksha Dal for the maintainence of peace and order in the State of Madhya Pradesh and their powers and duties.

Be if enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty Second Year of the Republic of India as follows:-

Short title	01. (1) This Act may called the madhay Pradesh		
Extent And	Gram Thtah Nagar Raksha Dal		
Commencement	Adhiniyam,2002,		
	(2) It extends to the whole of the Madhya		
	Pradesh,		

	(3) It shall come into force in the whole of			
	the state of Madhya Pradesh on the			
	publication of this Act in the Madhya Pradesh			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
D = 6° '4' = =	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
Definitions	02. In this Act, unless the context otherwise requires,			
	(a) "Government" means the Government of			
	Madhya Pradesh.			
	(b) "Members of a Raksha Dal" means a			
	person enrolled under Section 6.			
	(c) "Gram Sabha" Means a Gram Sabha			
	constituted under section 5-A of Madhya Pradesh			
	Rajya Evam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of			
	the year 1994 and Amendment Act No. 3 of the Year			
	2001),			
	(d) "Mahalla Samiti" means a Mohilla			
	Samiti constituted under section 3 of Madhya			
	Pradesh Nagarpalika Mohilla Samiti.(constitution,			
	Function, Powers and Procedure for conduct of Business)			
	Rules, 2001			
	(e) "Superintendent" means the District			
	Superintendent of Police.			
Constitution of	03. Gram Shaba/Mohilla Samiti shall send a list of person to the			
Raksha Dal	extent to 125% of the required number to the Superintendent. The			
	Superintendent shall consider the list the list and after excluding the			
	name of ineligible, incompetent/unsuitable person shall constitute the			
0 100 10	Raksha Dal amongst the remaining names. Of Every person between the age of 20 to 45 Years and residing in			
Qualification of	• 1			
members of the	a village/mohilla and who, having regards to the nature of duties and			
Raksha Dal	functions to be performed under this Act, is willing to be a member,			
	and is physically fit and capable, shall be eligible for			
Enrolment of	05. (1) The Superintendent, may enroll in the			
member of a	prescribed form nay person who is eligible			
Raksha Dal	under section 4 who has been nominated by Gram			
	Sabha or Nagar Parishad.			
	Provided that in such enrollments would be given			
	to scheduled Castes, scheduled Tribes, Women and the			
	Minorities.			
	(2) The Superintendent shall issue a			
	certificate of enrollment to every member of a			
	Raksha Dal which shall be in such form as may be			
	prescribed and thereupon he shall have the			
	powers, privileges and protection conferred and			
	shall discharge the duties imposed on him as a			

	member of the Raksha Dal by or under this Act.				
	(3) The village Kotwar and patel wherever				
	appointed will be the members of the Raksha Dal.				
Function and	06. The members of Raksja Dal shall perform the follow	/ino			
Duties of	functions and duties.	mg			
Raksha Dal	(a) Keeping vigil in the village/mohallas				
	assigned to them.				
	(b) Patrolling for the purpose of prevention of crit	me.			
	(c) Protection of persons and property.				
	(d) Assisting the police, when necessary, is				
	maintaining the public order and peace.				
	(e) Performing such other duties as may be assign	ned			
	to them from time to time by the Superintendent	t of			
	police of Gram Raksha Samiti.				
	(f) To arrest proclaimed offenders and to				
	produced such arrested person to the nearest				
	police station/outpost without delay.				
	(g) To give information regarding suspicious				
	and bad characters.				
	(h) To render necessary assistance to police in rescue and relief works connected with natural calamites.				
Nomination of	07. The Superintendent shall nominate for every Raksha Dal, one of				
mukhya Gram	its members as Mukhya Rakshak whose and duties shall be such				
Rakshak	may be prescribed	ı as			
Posting of	08. (1) For direction and supervision of				
Thana and Jila	members of Raksha Dal called out for duty				
Raksha	within the local limits of a police station, the				
Adhikari	Superintendent may post a police officer, not below the rank				
	a an Assistant Sub-Inspector to be a				
	Thana Raksha Adhikari.				
	(2) For direction and supervision of				
	members of Raksha Dal called out for duty				
	within a District, the Superintende	ent			
	may post a police officer not below the rank of an Inspec	ctor			
	to be a Jila Raksha Adhikari.				
Control and	09. Members of the Raksha Dal called out duty and the officers				
training of	nominated of posted under section 7 and 8 shall be under the of a				
members and	Raksha Dal for training or to discharge any of the function or cu				
officers	assigned to them in according to them in according with the provisi	ions			
Twoining	of this Act and the rules made there under				
Training	10. The Director General of police or nay police officer authori				
	by him in this behalf or the Superintendent may be assigned to	any			

	member performing such other duties as may be assigned to them from			
D	time by the authorities designated in this act.			
Powers,	11. (1) Every member of the Raksha Dal shall, when			
protection and	called out for duty, have the same powers, liabilities, privileges			
control	and protection as a police Officers under the			
	police Act 1861 (N. 5 of 1861)			
	(2) No protection shall be instituted against a			
	member of a Raksha Dal, called out fir duty, in			
	respect of anything done or purporting to be done			
	in the exercise of his power or the discharge of his			
	functions of duties as such member except with the			
7.7	previous sanction of his Superintendent.			
Members of the	12. The members of the Raksha Dal acting under this Act shall be			
Raksha Dal to	deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the			
be public	Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).			
Servants				
Issuing Arms to	13. (1) In a Problematic district, members of			
members of	Raksha Dal called out for duties can be issued			
Raksha Dal	confiscated arms and such other Government arms, which are			
	currently not in use in police Department.			
	(2) The weapons to be provide under sub			
	section (1), the procedure for its			
	maintenance and training for handing of weapon shall			
	be prescribed in the rule under this Act.			
Powers of the	14. (1) The Director General and Inspector			
Director	General of state police shall be the Chief Coordinator of			
General,	all the Raksha Sals in the state.			
Inspector	(2) The Director General of police, Range			
General, Range	shall be the range coordinator of Raksha Dals within the			
and the	Range.			
Superintendent	(3) The Superintendent shall be the District			
	Coordinator of the Raksha Dal in the district			
	for which he is appointed as Superintendent.			
De-enrollment	15. The Superintendent nay, in consultation with with Gram			
	Sabha/Mohall samiti may de-enroll any member of the Raksha Dal,			
	who on being called out under Section 6, without reasonable excuse			
	neglects or refuses to obey such order or to discharge his function as a			
	member of the Raksha Dal or to obey any lawful order or direction			
	given to him the performance of his duties.			
Certificate to be	16. (1) Every person who for any person ceases to be a			
delivered up by	member of a Raksha Dal or resign his membership			
the person	shall forthwith deliver to the Superintendent or to			
ceasing to be a	such person and at such place as the			

member	Superintendent may direct, his				
member	certificate of enrollment and the arms and				
	other articles, which have been issued to him as su				
	member. (2) When a member of a Raksha Dal dies,				
	any person who is in custody of the				
	certificate of Enrollment, the arms and the				
	articles referred to in sub-section (1) which have been				
	issued to the said member shall firth with deliver to				
	the Superintendent or to such person or at				
	such place as the Superintendent may direct,				
	the said certificate of Enrollment arms articles.				
	(3) Any magistrate and the Superintendent may				
	issue a warrant to search for and seize whenever they				
	may be found any certificate, arms or other not				
	delivered as required by sub-section (1) or sub-				
	section (2). Every warrant so issued shall be				
	executed in accordance with the previous of the code				
	of criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) by a police				
	officer or if the magistrate or the Superintendent				
	issuing the warrant so directs by any other person.				
Punishment	17. (1) If any member of the Raksha Dal willfully				
	neglects or refuses to deliver up his				
	certificate of Enrollment and the arms or any other				
	article in accordance with previous of sub-section (1) of				
	section 16, he shall, on conviction, be punished with				
	imprisonment which may extend to fifteen				
	days or with fine which may extend to Two				
	hundred and fifty rupees or with both.				
	(2) If any member of the Raksha Dal willfully				
	neglects or refuses to deliver the				
	certificate of enrollment and the arms or any other article in accordance with the previous of sub-section (2) of				
	article in accordance with the previous of sub-section (2) of section 16, he shall, on conviction, be punished with				
	0 444				
	fine which may extend to five Hundred rupees. (3) No proceeding shall be instituted under sub-				
	section (2) without the previous sanction of the				
	Superintendent.				
	Supermendent.				
Members of the	18. Notwithstanding anything contained to the contrary in any other				
Raksha Dal not	law for the time being in force, a member of the Raksa Dal shall not be				
disqualified	disqualified from being a member of any local authority merely, by				
from being	reason of the fact that he is a member of a Raksha Dal or that he holds				

Members of	an office of profit under the Government by virtue of his being a			
local authorities	member if a Raksha Dal.			
	Explanation -: For the purpose of his section			
	"Local authority" includes a			
	Municipal council, a Nagar			
	Panchayat,Zila Panchayat Jnapad Panchayat and			
	Gram Panchayat			
Powers of	19. (1) The Government may by notification make			
Government to	rules to carry out the purpose of this Act.			
male rules	(2) In particular and without prejudice to the			
	generality of the forgoing power, such rules nay			
	provide for or regulate the following matters, namely-			
	(a) The Function which shall be discharged and the			
	duties which shall be performed by the Raksha Dal under			
	section 6			
	(b) The forming which certificate of			
	enrollment shall be issued under sub-			
	(2) of section 5			
	(c) The organization, enrollment and			
	function, discipline of the members of the			
	Raksha Dal and the manner in which they may be called out			
	for duty.			
	(d) Powers, duties and training of the Mukhya			
	Rakshak Thana Raksha Adhikari and Jila			
	Raksha Adhakari under section 7 and 8			
	(e) Generally for giving effect to the previous of			
	this Act.			
	(3) Every rule made under this Act. shall be laid, as			
	soon as may be after it is made, on the table of the State			
Donoslina	Vidhan Sabha.			
Repealing	20. Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Raksha Samiti Act, 1999			
	(No. 4 of the year 2000) is hereby repealed			

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

कमांक 313)

भोपाल,मंगलवार,दिनांक 17 जून 2003—ज्येष्ठ 27,शक 1925

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2003

क. एफ. 5—2—2000 बी (3) 2— मध्यप्रदेश ग्राम तथा रक्षा समिति अधिनियम, 1999 (कमांक 4 सन् 2000) की धारा 21 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ-
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर रक्षा समिति है नियम, 2003 है
 - (2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।
- 2. **परिभाषायें** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है म०प्र० ग्राम तथा नगर रक्षा समिति अधिनियम 1999 (कमांक 4 सन् 2000)
 - (ख) "प्रारूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप
 - (ग) "रक्षा समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित ग्राम या रक्षा समिति
 - (घ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा
 - (ड) "विलेज डिफेंस सोसाइटी" से अभिप्रेत है विलेज डिफेंस सोसाईटी के जो राज्य सरकार द्वारा डकैती प्रभावित ग्वालियर चंबल के प्रक्षेत्रों तथा सागर रीवा प्रक्षेत्रों में म0प्र0ग्राम तथा नगर रक्षा समिति अधिनियम 1999 के प्रांरभ होने से पूर्व गठित की गई थी अधिकारी तथा सदस्य
 - (च) उन शब्दो तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों मे परिभाषित नही की गई है। वही अर्थ होगा जो उनके लिये अधिनियम में दिया गया है।
- 3. रक्षा समिति के सदस्यों के नामांकन का प्रारूप अधीक्षक, अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रक्षा समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रारूप—1 में नामांकन प्रमाण पत्र जारी करेगा और प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) अधीक्षक के कार्यालय में प्रारूप 1—क में रखा जायेगा।
- 4. रक्षा समिति के सदस्यों के कृत्य—ग्राम रक्षा समिति के सदस्य उन कृत्यो के अतिरिक्त जो अधिनियम की धारा 13 में उपबंधित किये गये हैं, निमनिलिखित कृत्यों का पालन करेगे, अर्थात :—
 - (क) समन की तामील
 - (ख) अपराधों के विशिष्टतः ऐसे अपरधों, महिलाओं, बालको,अल्पसंख्यको, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हो, निवारण में सहायता करना और समाज में प्रचलित कुप्रथाओं के उन्मूलन के उपायों में सहायता करना और
 - (ग) साम्प्रदायिक सद्भाव एकता तथा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का पोषण करने में सहायता करना।
- 5. कर्तव्य आदेश का प्रारूप—जब कभी अधीक्षक / जिला रक्षा अधिकारी / थाना रक्षा अधिकारी, किसी सदस्य को कर्तव्य पर बुलाना चाहता हैं तो वह तारीख, स्थान तथा उस कालावधि का, जिसके लिये उसकी उपस्थिति आवश्यक हैं तथा ऐसे कृत्यों का जिनका ऐसे सदस्य द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित हैं, उल्लेख करते हुए मुख्य रक्षक को प्रारूप—2 में लिखित में आदेश जारी करेगा।

- 6. **थाना रक्षक की शक्तियां तथा कर्तव्य**—मुख्य रक्षक निम्नलिखित कृत्यो का पालन करेगा और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा :-
 - (क) सदस्यों द्वारा पालन किये गये कर्त्तव्यों के लिये उत्तरदायी होगा।
 - (ख) समस्त सदस्यों पर नियत्रंण रखेगा और उन्हे कर्त्तव्य सौपेगा।
 - (ग) थाना रक्षा अधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों, साथी ही रक्षा समिति के सदस्यों के बीच समृचित तथा पर्याप्त सांमजस्य बनाये रखेगा।
 - (घ) ग्राम में घटित होने वाली किसी अप्रिय घटना की जानकारी संबंधित पुलिस थाने को भेजेगा और पुलिस जांच के दौरान सहयोग करेगा।
 - (ड) समस्त संक्रियाओं की गोपनीयता को व्यक्तिशः बनाए रखेगा तथा सदस्यों से भी वैस ही बनाये रखना सुनिश्चित करेगा।
 - (च) उन समस्त विधिक निदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा जो थाना रक्षा अधिकारी तथा अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी किये जाएं।

7. थाना तथा जिला रक्षा अधिकारी की पदस्थापना तथा उनके कृत्य-

- (1) अधीक्षक प्रत्येक पुलिस थाने के लिये थाना रक्षा अधिकारी की पदस्थापना करेगा, जो पुलिस या विलेज डिफेन्स सोसाइटी के सहायक उप निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा। ऐसा अधिकारी, रक्षा समितियों के बारे में जन साधारण को जानकारी देने, रक्षा समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक्रूप से भरे गए नामांकन प्ररूपों को उपाप्त करने के लिये और मुख्य रक्षक, उप रक्षक तथा रक्षक सचिव के नामनिर्देशन के बारे में अपनी सिफारिश के साथ अधीक्षक को अग्रेषित करने के लिये प्रत्येक ग्राम/वाड/बीट के लिये रक्षा समितियों का गठन करेगा।
- (2) अधीक्षक, जिला स्तर पर रक्षा समिति को निदेश तथा पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिये किसी पुलिस अधिकारी या विलेज डिफेन्स सोसाइटी आफिसर को, जो पुलिस निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा, जिला रक्षा अधिकारी नियुक्त करेगा, ऐसे अधिकारी, जिले के भीतर के पुलिस थानों की अधिकारिता के अधीन आने वाली समस्त रक्षा समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगे।
- (3) अधीक्षक, जिला रक्षा अधिकारी के लिये पुलिस अधीक्षक के कार्यालय परिसर के भीतर एक अलग कार्यालय कक्ष की व्यवस्था करेगा तथा प्रत्येक पुलिस थाने में रक्षा अधिकारी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- (4) ग्वालियर तथा चम्बल प्रक्षेत्रों के लिये प्रमुख संगठन, विलेज डिफेन्स का एक पद स्वीकृत हैं तथा सागर औा रीव प्रक्षेत्रों के लिये उप पुलिस अधीक्षक का एक पद स्वीकृत हैं। डकैती प्रभावित ग्वालियर—चम्बल तथा सागर रीवा प्रक्षेत्रों में रक्षा समितियों के कृत्यों का पर्यवेक्षण करतें हैं। वे उनके अपने अपने प्रक्षेत्रों में कार्य कर रही रक्षा समितियों के बीच कार्यो का उचित समन्वय सुनिश्चित करतें रहेगें। प्रमुख संगठन, विलेज डिफेन्स सोसाइटी ,ग्वालियर चम्बल प्रक्षेत्रों पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल प्रक्षेत्र के प्रशासनिक नियत्रंण के अधीन कार्य करेगा, जबिक उप पुलिस अधीक्षक,विलेज डिफेन्स सोसाइटी,सागर—रीवा प्रक्षेत्र, पुलिस महानिरीक्षक, सागर प्रक्षेत्र के प्रशासनिक नियत्रंण के आधीन कार्य करेगा।

8. रक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण-

- (1) पुलिस अधीक्षक जिला स्तर पर रक्षा समिति के समस्त सदस्यों के लिये सात दिन का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा, एक प्रशिक्षक, जो निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा, प्रत्येक प्रशिक्षण केम्प में प्रशिक्षण देने के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजा जायेगा, प्रशिक्षण के दौरान सदस्यों को परेड, आयुध तथा गोला—बारूद के उपयोग तथा उनके समुचित रख—रखाव, प्राथमिक उपचार तथा विधिक प्रक्रिया संबंधी मूल बातों का, जिनके अनुसरण की पुलिस से सामान्यतः अपेक्षा की जाती हैं, यथोचित रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा, इसके अतिरिक्त सदस्यों को विभिन्न सरकारी स्कीमों, बैंक से उपलब्ध ऋणों तथा आग, आपात और प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध बचाव के उपायों के बारे में पूरी जानकारी दी जायेगी।
- (2) प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय शीर्ष मांग संख्या—03—पुलिस शीर्ष—2055—110—ग्राम पुलिस —9070—ग्राम रक्षा समितियां—23—अन्य प्रभार—048—प्रशिक्षण मद में विकलनीय होगा।

9. रक्षा समितियों के सदस्यों को कर्त्तव्यों के पालन हेतु आयुध जारी करना,आयुधों को चलाना तथा रख–रखाव के लियें प्रशिक्षण देना–

(1) जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में उपबंधित हैं, कर्त्तव्य पर बुलाये गए रक्षा समिति के सदस्य लोक सेवक होंगे, जब वे कर्त्तव्य पर होगे, तब उन्हें उत्तदायित्व,विशेषाधिकारों तथा प्रतिरक्षण से संबंधित वहीं शक्तियां प्राप्त होंगी, जो पुलिस अधिनियम,1861 (1861का सं. 5) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन पुलिस

- अधिकारी को प्राप्त हैं । अतः ग्राम रक्षा समिति के केवल उप सदस्यों को ही आयुध उपलब्ध कराएं जाएंगे, जिन्हे इस नियम के अधीन कर्त्तव्यों के लिये आहूत किया गया है।
- (2) पुलिस अधीक्षक ऐसे ग्रामों की, जो विशेषतः अपराधों संबंधी गंभीर समास्याओं का समना कर रहें हैं, पहचान करने के पश्चात समास्याग्रस्त ग्रामों के संबंध में सीमित कालाबिध के लियें अधिसूचना जारी करने हेतु पूर्ण रूप से प्राधिकृत होगे, ऐसे समास्याग्रस्त ग्रामों में पुलिस अधीक्षक, ऐसी ग्राम रक्षा समितियों के उतने सदस्यों को, जिन्हे कि वह आवश्यक समझे आयुध जारी करेगे।
- (3) भारत सरकार,गृह पुलिस मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक बी. 11020/7/97/आर्म्स—एन.पी.बी., दिनांक 16.10. 2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर आयुध अनुज्ञप्ति (आर्म्स लाइसेंस) प्रदान करने के पश्चात ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को अ—प्रतिषद्व बोर के आयुध उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ऐसे मामलों को प्रथमिकता के आधार पर निपटाया जायेगा।
- (4) ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को पुलिस शस्त्रागार में उपलब्ध 410 बोर के मस्कट भी आवश्यकता के अनुसार सीमित कालाबधि के लिये जारी किए जावेंगे। इन मस्कटों के लिये कारतूस पुलिस शस्त्रागार के विद्यमान स्टाक में से उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (5) आयुधों को जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समितियों के संबंधित सदस्यों के पास उन्हे उपलब्ध करायें गये सरकारी आयुधों एवं गोला बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये समुचित इंतजाम हैं, ताकि सरकारी आयुधों एवं गोला—बारूद की सुरक्षा को समुचित रूप से सुनिश्चित किया जा सके।
- (6) ग्राम रक्षा समिति का प्रत्येक सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी आयुध,गोला–बारूद और अन्य वस्तुएं, जो उसे दी गई हैं उन्हे तत्काल अभ्यार्पित कर दे, जैसा कि अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपेक्षित हैं।
- (7) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि रक्षा समितियों के ऐसे सदस्य,जिन्हे उनके कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये आहत किया गया हैं, आयुधों के उपयोग तथा उनके रख—रखाव के संबंध में समुचित रूप से प्रशिक्षित हो। केवल उसका समाधान होने के पश्चात ऐसे सदस्य को, जो प्रशिक्षण के पश्चात योग्य पाया जाए, कर्त्तव्यों के लिये आयुध उपलब्ध कराए जायेंगे।
- (8) सुरक्षा समिति के सदस्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो सदस्यों को आयुधों के साथ कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये अभियोजित किया जायेंगा।
- (9) रक्षा समिति के सदस्य को उपलब्ध कराए गए आयुधों तथा गोला—बारूद का प्रदाय,मुख्य रक्षक द्वारा दिन—प्रतिदिन के आधार पर संवीक्षा किये जाने के दायित्वाधीन होगा और अभिमत को आयुध रिजस्टर में लेखबद्ध किया जायेंगा।
- (10) थाना रक्षा अधिकारी, रक्षा समितियों को उपलब्ध कराएं गए आयुधों का मास में एक बार अनवार्यतः निरीक्षण करेंगा तथा आयुधों के संबंध में अपने अभिमत, मुख्य रक्षक/थाना रक्षक के स्तर पर लेखबंद्ध करेगा।
- (11) जिला पुलिस आर्मरर, रक्षा समितियों के सदस्यों को उपलब्ध कराए गए आयुधों तथा गोला–बारूद का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगा तथा अधीक्षक को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगा।

(10) जिला, थाना तथा रक्षा समिति स्तर पर रक्षा समितियों के कार्यकरण के संबंध में मासिक विवाणियों का प्रस्तुत किया जाना और राजिस्टर का रखा जाना—

- (1) जिला रक्षा अधिकारी प्ररूप -3 में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्टर रखेंगा।
- (2) पुलिस थाना स्तर पर, थाना रक्षा अधिकारी द्वारा प्ररूप–4 में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्टर रखा जायेंगा, जबिक प्ररूप–5 में विनिर्दिष्ट रजिस्टर रक्षा समितियों के स्तर पर मुख्य रक्षक द्वारा रखा जाएगा।
- (3) मुख्य रक्षक एक विस्तृत मासिक रिपोर्ट थाना रक्षा अधिकारी को तथा पुलिस अधीक्षक को भेजेगा, जो रिपोर्ट को रेज के पुलिस महानिरीक्षक को प्रत्येक मास भेजेगा। यह रिपोर्ट प्ररूप–6 में भेजी जाएगी। संबंधित रेंज का पुलिस महानिरीक्षक प्ररूप–6 में मासिक रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विशेष आपरेशन) पुलिस मुख्यालय को भेजेंगा।

प्ररूप—1 (नियम 3 देखिये)

रक्षा समिति के सदस्य के लिए नामांकन प्रमाण-पत्र

पुलिस अधीक्ष जिला	क,		
ાળભા			
में		पुत्र श्री	
निवासी	एतद्द्वारा,	रक्षा समिति की सदस्यता के लिए स्वेच्छापूर्वक आवेदन	न करता हूं।
	मैं	ने मध्यप्रेदश ग्राम [े] तथा नगर	रक्षा समिति अधिनियम,1999
(क. 4 सन् 2	2000) के विभिन्न धाराओ	को सावधानीपूर्वक समझ लिया हैं और, एतद्द्वारा शप	थि लेता हूं कि जैसा कि उक्त
अधिनियम में	उवबंधित हैं, मैं सदैव,	जब तक ्कि मैं सदस्य रहूंगा, उत्तदायित्वों को पूर्ण	तमपेण और ईमानदारी से पूरा
करूगा। उस	दशा में, जब मैं किसी	कारण से सदस्य बने रहने में असमर्थ हो जाऊं, त	। में सदस्य के रूप में अपना
त्याग - पत्र !	प्रस्तुत कर दूगा। म , स्र कर दंगा।	यं को उपलब्ध कराया बया पहचान—पत्र,आयुध तथा	गाला–बारूद आर अन्य वस्तुए
gaa amaa	477 9/11	3	भावेदक
		(हस्ताक्षर)	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
00	मैं, एतद्द्वारा, श्री	पुत्र श्रीरोत्राच्या ग्राम तथा रक्षा समिति अधिनिय	<i></i>
निवासी		ज, मध्यप्रदश ग्राम तथा रक्षा नगर रक्षा सामात आधानर ने ने सुनम्भ ने सम्पर्ध समानिक सुनम्भ नं।	ाम,1999 को धारा—9 म
उपबाधत ।कः	य गए अनुसार रक्षा सामा	ते के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं।	
		पुलि	नस अधीक्षक
		3	
			जिला
		प्ररूप—1—क	
		(नियम 3 देखिये)	
		(
	रक्षा	समिति के नामांकित सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी	
1.	पूरा नाम		
2.	पिता का नाम		
3.	निवासी तहसील	वार्ड / ग्राम का नाम जिला	
4. 5.	जाति	ાળલા	
6.	आयु		
7.	शैक्षणिक अर्हता		
8.	, ε		
9.	पहचान चिन्ह		
	-A o	un off	
निवासी	প।	पुत्र श्रीवार्ड/ग्राम का नामवार्ड/ग्राम का नाम	 ਹਰਟਟਾਗ
	′वार्ड (रक्षा समिति का न		<i>\\\</i> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		ा। रने की अनुशंसा की जाती हैं, जैसा कि मध्यप्रदेश	ग्राम तथ नगर रक्षा समिति
) की धारा 3 में उपबंधित हैं।	

दिनॅ	ाक		थाना रक्षा अधिकारी
स्था	न		जिला रक्षा अधिकारी
		प्ररूप–2 (नियम 5 देखिए	
	प्रति,	कर्त्तव्य आदेश	
1.		केये जाने वाले कर्त्ताव्य का विवरण :— वह स्थान, जहां कर्त्ताव्य का पालन किया जाना है —	
दिनॉक स्थान		अादेश जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्तरक्षर, कार्यालय एवं पदनाम	

टिप्पण :— मध्यप्रदेश ग्राम तथ नगर रक्षा समिति अधिनियम, 1999 (कमांक 4 सन् 2000) के अधीन कर्त्तव्य पर आहूत किया जाने वाला रक्षा समिति, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अर्न्तगत लो सेवक समझा जाएगा तथा उसे वही शक्तियां, दायित्व, विशेषाधिकार तथा संरक्षण प्राप्त हैं जो पुलिस अधिनियम,1861 (1861 का सं. 5) के अधीन पुलिस अधीकारी को हैं।

प्ररूप-3

रू नियम 10 (1) देखिए,

जिला रक्षा अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों की सूची

- 1. पुलिस थानावार ग्राम रक्षा समिति का रजिस्टर
- 2. पुलिस थानावार रजिस्टर, यदि रक्षा समिति का सदस्य हो
- 3. आवक / जावक रजिस्टर
- आकस्मिक निरीक्षण रिजस्टर
- 5. रक्षा समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराए गए आयुधों के लिये थानावार रजिस्टर
- प्रशिक्षण रजिस्टर
- 7. स्टाक रजिस्टर
- कैश रिजस्टर
- 9. आदेश रजिस्टर
- 10. आदेश पुस्तिका रजिस्टर

प्ररूप–4

रू नियम 10 (2) देखिए , थाना रक्षा अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों की सूची

_				रजिस्टर	<u> </u>	\
1	शासा	ᄱᄾ	chl	ひしんけんし	1 U all Ual	1111111
I -	9111	પા /	971	(101(C)	1 (. 9 9	21'11

- 2. रक्षा समिति के सदस्य की फोटो के साथ पहचान के लिये रजिस्टर
- 3. पालन किये गए असाधारण कर्त्तव्यों का रजिस्टर
- 4. आवक / जावक रजिस्टर
- 5. आकस्मिक निरीक्षण रजिस्टर
- 6. कर्त्तव्य (ड्यूटी) रजिस्टर
- 7. प्रशिक्षण रजिस्टर
- स्टाक रिजस्टर
- 9. वितरण रजिस्टर
- 10. केशबुक / लेजर
- 11. सेवानिवृत्ति रजिस्टर
- 12. आदेश रजिस्टर
- 13. आदेश पुस्तिका रजिस्टर
- 14. अवकाश रिजस्टर
- 15. आयुध रजिस्टर

प्ररूप-5

ख नियम 10 (3) देखिए ,

मुख्य रक्षक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों की सूची

- 1. सदस्यता रजिस्टर
- 2. आवक / जावक रजिस्टर
- 3. पालन किये गए असाधारण कर्त्तव्यों का रजिस्टर
- 4. कर्त्तव्य रजिस्टर
- 5. आयुध रजिस्टर
- 6. आर्देश रजिस्टर

प्ररूप–6

ख नियम 10 (3) देखिए ,

रक्षा समिति द्वारा मासिक प्रतिवेदन

- 1. थाना क्षेत्र
- 2. थाना रक्षा अधिकारी का नाम/कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
- 3. ग्राम/वार्ड का नाम
- 3. रक्षा समिति के गठन की तारीख
- सदस्यों की संख्या
- 6. मुख्य रक्षक का नाम
- 7. थाना क्षेत्र में गठित रक्षा समिति की कुल संख्या
- थाना क्षेत्र में की रक्षा समितियों के सदस्यों की कुल संख्या
- 9. रक्षा समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराए गये आयुधों का विवरण एवं उनके नियमित संबंधी टिप्पणियां
- 10. पालन किये गए असाधारण कर्त्तव्यों का विवरण

11.	अन्य टिप्पाणया, याद काइ हा	
		मुख्य रक्षक
		रक्षा समिति
1.	थाना रक्षा अधिकारी की टिप्पणियां	
2.	जिला रक्षा अधिकारी की टिप्पणियां	
3.	संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक की टिप्पणियां	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय राणा, अवर सचिव

भोपाल, दिनांक 17 जून 2003

पृष्ठांकन क. एफ–5–2–2000–बी (3) दो.–भारत के संबिधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क. एफ–5–2–2000–बी (3) दो, दिनांक 17 जून 2003 का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय राणा, अवर सचिव

Mahdya Pradesj Adhiniyam No.-- of 2002

Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Rakshta Dal Adhiniyam Table of contents

Section

- 1. Short title, exent and commencement.
- 2. Defination
- 3. Constitutions.
- 4. Qualification of members of Taksha Dal.
- 5. Enrolment of members of Raksja Dal.
- 6. Function

Bhopal, the 17th June 2003

No. F. 5-2-2000-B (3)-II.-In exercise of the powers conferred by sub-section (I) and (2) of Section 21 of the Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Raksha Samiti Adhiniyam, 1999 (No.4 of 2000), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

RULES

- 1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Raksha Samiti Rules, 2003.
- 2. They shall come into force with effect from the date of publication in "Madhya Pradesh Gazette".
 - 3. **Definitions.-**In these rules, unless the context otherwise requires,-
- (a) "Adhiniyam" means the Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Raksha Samiti Adhiniyam, 1999 (No.4 of 2000)
 - (b) "Form" means the forms appended in these rules;
- (c) "Raksha Samiti" means Gram or Nagar Raksha Samiti constituted under Section 3 of the Adhiniyam;
 - (d) "Section" means the Section of the Adhiniyam;
- (e) "Village Defence Society" means the officers and members of the Village Defence Societies constituted before the commencement of Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Raksha Samiti Adhiniyam, 1999, by the State Government in dacoity affected Gwalior-Chambal Ranges and Sagar-Rewa Ranges;
- (f) The words and expressions not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Adhiniyam.

- 3. Form of Enrolment of Members of Raksha Samiti.-The Superintendent shall issue enrolment certificate to each member of Raksha Samiti as required under sub-section (2) of Section 9 of the Adhiniyam in Form-1 and personal Bio-data of each member shall be kept in Form 1-A in the office of Superintendent.
- 4. **Function of the Members of the Raksha Samiti.** The members of the Gram Raksha Samiti shall also performs the following functions in addition to those functions as provided in Section 13 of the Adhiniyam, namely:-
 - (a) Service of summons;
- (b) to help in prevention of crime specially crime against women, children, minorities, scheduled castes and scheduled tribes and help in the meaures to eradicate against the malpractices prevailing in the Society; and
 - (c) to help in fostering the spirit of communal harmony, unity and national integration.
- 5. **Form of Duty Order**.-Whenever, the Superintendent/Zila Rakha Adhikari/Thana Raksha Adhikari wishes to call a member for duty shall issue an order in writing in Form-2, to the Mukhya Rakshak mentioning the date, place and the period for which his presence is required and functions which such members is expected to perform.
- **6- Powers and Duties of Mukhya Rakshak**.- The Mukhya Rakshak shall perform the following duties and exercise the following powers. He shall,-
 - (a) be responsible for duties performed by the members;
 - (b) control over all the members and assign duties to them;
- (c) maintain proper and adequate co-ordination between Thana Raksha Adhikari and Police Officers as well as the members of Raksha Samiti;
- (d) transmit information to the police Station concerned regarding any unpleasant incident happending in the village and co-operate during the course of police inquiry;
- (e) personally maintain, full confidentiality of all the operations and ensure the same from the members also;
- (f) ensure full compliance of all the legal directions that may be issued by Thana Raksha Adhikari and other Police Officers.
 - 7- Posting of Thana and Zila Raksba Adhikari and their function.-

- (l)The Superintendent shall post Thana Raksh Adhikari for each police Station, who shall not be below the rank of Assistant Sub-Inspector of police or Village Defence Society. Such officer shall constitute Raksha Samities for each Village/Ward/Beat for providing information regarding Raksha Samities to public in general, to procure enrolment forms duly filled in by all the member of Raksha Samiti and forward to the Superintendent with his recommendation regarding nomination of Mukhya Rakshak, Up-Rakshak and Rakshak-Sachiv.
- (2) The Superintendent at district level shall appoint Zila Raksha Adhikari to any police Officer or

Village Defense Society Officer who shall not be below the rank of an police Inspector for the purpose of direction and supervisions of Raksha Samiti. Such Officers, in turn, shall supervise the functioning of all the Raksha Samities falling under the jurisdiction of Police Stations within the District.

- (3) The Superintendent shall arrange a separate office room for the Zila Raksha Adhikari within the premises of the office of the Superintendent of police and ensure seating arrangement for Raksha Adhikaries in each police Station.
- (4) There is one sanctioned post of Chief Organiser Village Defence Society for Gwalior and Chambal Ranges and one sanctioned post of Deputy Superintendent of Police for Sagar and Rewa Ranges. They supervise the functioning of Raksha Samities in dacoity affected Gwalior-Chambal and Sagar-Rewa Ranges. They shall continue to ensure proper coordination of functions between the Raksha Samiti functioning in their respective Ranges. Chief Organiser of Village Defence Society Gwalior-Chambal Ranges shall function under the administrative control of the Inspector General of police, Chambal Range, while the Deputy Superintendent of Village Defence Society, Sagar-Rewa Ranges shall function under the administrative control of Inspector General of Police, Sagar Range.

8. Training to Members of Raksha Samiti.-

(1) The Superintendent of Police at the District level shall organise seven days basic training programme for all the members of the Raksha Samiti. A Trainer, not below the rank of Inspector, shall be deputed for imparting training in each Training Camp. During the course of training the members shall be adequately trained in parade, use of arms and ammunition and their proper up- keep, First Aid and the basics of legal procedure which the police are generally expected to follow. In addition, the members shall also be provided with full

information with regard to various Government Schemes loal1s available from the Banks and measures for defence against fire, emergency and natural calamities.

- (2) Expenditure on training shall be debited under the head Grant No-03-Police-Head-2055-110 Gram Police-9070-Gram Raksha Samities-23 other Charges-048 Training Head.
- 9. Issuance of weapons to members of Raksha Samities for performance of duty, providing training to handle weapons and its maintenance.-(1) As provided in Section 19 of the Adhiniyam the members of the Raksha Samiti called for duties are the Public servants. They while on duty shall have the same powers as are available to a Police Officer under the sub-section (I) of Section 15 of the Police Act, 1861 (No.5 of 1861), relating to responsibilities, privaileges, and defence. Hence, arms shall be provided only to the members of Gram Raksha Samiti who are called out for duty under this rule.
- (2) The Superintendent of Police shall be fully authorised for issuance of a Notification in respect of problematic village for a limited period, after identifying the villages especially facing grave problems of crime. In such problematic village, the Superintendent of Police shall issue the arms to as many members of such Gram Raksha Samities as he may deem necessary.
- (3) In conformity with the directives issued vide memo No. B-11020/7/97/Arms/NPS, dated 16th October 2001 by Grih Mantralaya, Government of India, arms non-prohibited bore be made available to the members of Gram Raksha Samitis, after grant of Arms Licenses, on the recommendation from the Superintendent of Police. Such cases shall be dealt with on priority basis.
- (4) The members of Gram Raksha Samitis shall also be issued the muskets of 410 bore available in Police armory for a limited period as per requirement. Catridges for these muskets would be made available from out of the existing stocks in Police' Armory.
- (5) While issuing the arms, it shall be ensured that members concerned of the Raksha Samitis have appropriate arrangement for safe custody of the Government arms and ammunitions provided to them, so that the security of Government arms" and ammunition is properly ensured.
- (6) Every member of the Raksha Samiti shall ensure that whatever arms, ammunitions, and other things provided to him immediately surrendered as required under Section 17 of the Adhiniyam.

(7) The Superintendent shall ensure that such members of Raksha Samitis who are called upon to perform their duty are properly trained in respect of use of arms and their upkeep. It is only after his satisfaction that the member who are found fit after training shall provided with arms for duties.

(8) Keeping the security of the member of the Suraksha Samiti not less than two members shall be deployed to perform duty with arms.

(9) Supplies of arms and ammunition provided to the member of Raksha Samiti shall be liable to be scrutinised by Mukhya Rakshak on day to day basis and observation noticed shall be Quoted in Arms Register.

(10) The Thana Raksha Adhikari shall compulsorily carry out in inspection of the Arms provided to the Raksha Samitis once in a month and shall record his observations at the level of Mukhya Rakshakl/Thana Rakshak with regard to arms.

(11) The District Police Armourer shall once in a year carry out inspection of arms and ammunition provided to the members of Raksha Samitis and submit his inspection report to the Superintendent.

10. Submission of monthly returns with regard to functioning of Raksha Samitis at the Zila/Thana and the Raksha Samiti level and maintenance of Register.-(1) The Zila Raksha Adhikari shall maintain the Register as specified in Form-3.

(2) At the Police Station level, Register shall be maintained by Thana Raksha Adhikari as specified in Form-4 while registers specified in Form-5 shall be maintained by Mukhya Rakshak at the level of Raksha Samitis.

(3) Mukhya Rakshak shall send a detailed monthly progress report to Thana Raksha Adhikari and to the Superintendent of Police, who, in turn, shall send the report to the Inspector General of Police, Range every month. This report shall be sent in Form-6. The Inspector General of Police of Range concerned shall send a monthly report in Form-6 to the Additional Director General of Police (Special Operations) Police Head Quarters.

FORM-I

(See Rule-3)

H	lnro	olment	certifica	te for	membe	er of	Rak	sha	Samit	j
---	------	--------	-----------	--------	-------	-------	-----	-----	-------	---

Superintendent of Police,

District			
----------	--	--	--

I		S/o	R/O	do hereby					
voluntari	ily apply for mer	nbership of the F	Raksha Samiti.						
I.		have	carefully gone throug	th the various Section of					
Gram T	atha Nagar Ral	ksha Samiti Adl	niniyam, 1999 (No.4 of 2	2000) and do hereby swear					
that as j	that as provided in the said Act, I shall always, so long as I continue to be the member,								
carry or	carry out the responsibilities with full dedication and honesty. In case I am unable to continue to be the member for any reason, I shall tender my resignation as a Member, I								
continue									
shall im	mediately surro	ender the ident	ity card, arms and ami	nunitons and other things					
provide	d to me.								
				Applicant,					
				(signature)					
	_		••••••••••••						
S	5/0	R/o)	••••••					
8	as a member of	Raksha Samiti	as provided in Section	9 of the Madhya Pradesh					
Gram T	'atha Nagar Ral	ksha Samiti Adh	iniyam, 1999.						
				Superintendent of Police,					
Γ	Dated		Distri	ct.					
EODM 1	A								
FORM-1	-A		(See Rule-3)						
		Bio-data of er	nrolled member of Raksh	a Samiti					
1.	Name in full								
2.	Father's name.								
3.	. R/o	Waı	rd/name of village						
	Tehsil	District.							
4.	Caste								
5.	Age								
6	.AcademicQuali	fication							
6.	Business/Profe	ession							
7.	Mark of identi	fication							

Shri		S/o	R/o		of		
ward/name	of village		is hereby	recommended	for enrol	ment as a	
Member of	Gram/ Thana/War	d/	(nar	ne of Raksha Sa	amiti) as j	provided in	
Section 3 of	the Madhya Prade	sh Gram Tatha I	Nagar Rak	sha Samiti Adhi	niyam, 19	99 (No.4 of	
2000);							
Date	d			Tha	ana Raksh	na Adhikari	
Place	Place			ila Raksha Adhi	kari.		
]	FORM-2				
		(S	ee Rule-5)				
		D	uty Order				
To,							
	•••••						
	1. Details of the	duty to be perfo	rmed:				
				•••••	•••••		
			•••••		•••••		
2.	Place where the d	uty to be perforr	ned:				
		•••••			•••••		
2. Duration of the duty to be performed:							
			•••••	•••••	•••••		
			••••••	•••••			
Date:				Signature of	,	Order issuing	
authority				Signature of	,	Jugi Issuing	
p [·]	lace·			Office & n	ost		

Note.-A member of Raksha Samiti when called out for duty under the Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Raksha Samiti Adhiniyam, 1999 (No.4 of 2000) shall be deemed to be public servant within meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No.45 of 1860) &

have liabilities, previleges & protection as a Plice Officer under the Police Act, 1861 (No.5 of 1861)

FORM-3

[See Rule 10(1)1]

List of Registers to be maintained by Zila Raksha Adhikari

- 1. Police Station-wise Gram Raksha Samiti.
- 2- Police Station-wise Registers if the Member of Raksha Samiti.
- 3. Receipt/Dispatch Register.
- 4. Surprise inspection Register.
- 5. Police Station-wise Register for arms provided to the Member of Raksha Samiti. 6. Training Register.
- 7. Stock Register.
- 8. Cash Book/Ledger.
- 9. Order Register.
- 10. Order Book Register.

FORM-4

[See Rule 10(2)]

List of Registers to be maintained by Thana Raksha Adhikari

- 1. Station area Register (AB & Village).
- 2. Register for identification of Member of Raksha Samiti along with their Photograph
- 3. Regis[er for exemplanary duties performed.
- 4. Receipt/Dispatch Register.
- 5. Surprise inspection Register.
- 6. Duty Register.
- 7. Training Register.
- 8. Stock Register.
- 9. Distribution Register.
- 10. Cash Book/Ledger.
- 11. Retirement Register.
- 12. Order Register.
- 13. Order Book Register.
- 14. Leave Register.

15. Arms Register.

FORM-5

[See Rule 10(2)]

List of Registers to be maintained by the Mukhya Rakshak

- 1. Membership Register.
- 2. Receipt / Dispatch Register.
- 3. Register for exemplary duties performed.
- 4. Duty Register.
- 5. Arms Register.
- 6. Order Register.

FORM-6

[See Rule 10(3)]

Monthly Report by Raksha Samiti

- 1. Station Area.
- 2. Name of Thana Raksha Adhikari/Joining Date.
- 3. Name of Village/Ward.
- 4. Date of constitution of Raksha Samiti.
- 5. Number of Members.
- 6. Name of Mukhya Rakshak.
- 7. Total number of Raksha Samiti constituted within the station area.
- 8. Total number of Members of Raksha Samitis within the station area.
- 9. Details of arms provided to the Members of Raksha Samitis and remarks regarding regular inspection.
- 10. Details of exemplary duties performed.
- 11. Other remarks, if any.

Mukhya Rakshak,

Raksha Samiti.

12. Remarks by Thana Raksha Adhikari.

- 13. Remarks by Zila Raksha Adhikari.
- 14. Remarks by Superintendent of Police of the District concerned.

By order and in the name of the Governer of Madhya Pradesh'

SANJAY RANA, Addl. Secy.